

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

रामकरण कुड़ी बनाम तहसीलदार धोद
 किस्म मुकदमा मु.नं. 44 वर्ष 2025
 31.5.25 ड. 811.136 ए.ए.ए.

दिनांक	आज्ञा - पत्र
29/9/25	<p>प्रार्थी रामकरण कुड़ी पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम भुवाला तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती के अनुसार ग्राम भुवाला पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 75 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र भूरा दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम रामकरण कुड़ी पुत्र भूरा है। प्रार्थी के दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी का सही नाम रामकरण कुड़ी पुत्र भूरा दर्ज है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र भूरा के स्थान पर रामकरण कुड़ी पुत्र भूरा दुरुस्त किया जावे।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1186 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम भुवाला पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 75 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र भूरा के स्थान पर रामकरण कुड़ी पुत्र भूरा दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1186 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हैं।</p>



उपखण्ड अधिकारी
 धोद जिला सीकर

